न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ

बलविन्दर सिंह बनाम जोगेन्द्र सिंह वगै0

प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 (स्थगन प्रा0 पत्र)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
27.05.2021 7/7/21	आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट वकील सायल द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र एवं जमाबंदी सम्वत् 2070–2075 की फोटो प्रति व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.07.2021 तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 346, 348, 624/347 वाके ग्राम सैदमपुर तहसील गोविन्दगढ(अलवर) को किसी प्रकार से रहन बय मुंतकिल नहीं करें, सायल के साथ उसके हिस्से मुताबिक शांतमय कब्जे कास्त करने में रूकावट मजामत पैदा ना करें। गैरसायल संख्या 2 आराजी मुतनाजा के संबंध में प्रस्तुत रहनामा,बयनामा आदि दस्तावेज को तस्दीक नहीं करें। यदि उक्त आदेश की पालना में कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 07.07.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यो ना उक्त आदेश ताफैसला दावा संपुष्ट कर दिया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब कर दिनांक 07.07.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर	

...23/9/21 को पेश हो।

23/9/21 - पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। तलबी अप्राप्त। पूर्व आदेश की अवधि बढ़ाई जाती है। पत्रावली दि0 20/12/21 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
7.3.25	पत्रावली वास्ते आदेश। आदेश/निर्णय 19.3.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
12/3/25	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो० द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब ....अन्य कार्य में व्यस्त.... है। पत्रावली दिनांक ....19.3.25.... को पेश हो रीडर
19.03.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उप०। पुनः बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 15.04.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
19.03.2025	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उप०। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 21.04.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
21.04.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उप०। प्रा० पत्र का मूल दावा साबित नहीं होने से अस्वीकार होकर खारिज किया जा चुका है अब इस पत्रावली को चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, शामिल मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०